स्मारण–पत्र
तत्काल

कार्यालय
मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल, म0प्र0

क्रमांक/म.प्र.न.र.कौं./2016/........... भोपाल, दिनांक: 08/09/2016

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त नर्सिंग कॉलेज
....
....

विषयः– प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संचालन के संबंध में।

संदर्भः– 1.कार्यालय का पत्र क्रमांक 10867, दिनांक 04.08.2016

2.संचालक रा.स्वा.मि. के पत्र क्रमांक 330, दिनांक 23.07.2016

----00----

संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रदेश में प्रसव पूर्व देखभाल की गुणवत्ता एवं कवरेज को बढ़ावा देने तथा आर.एम.एन.सी.एच+ए सेवाओं की रणनीति के तहत महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच निदान एवं परामर्श सेवाओं के कवरेज में सुधार की दृष्टि से **"प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान"** का शुभारंभ 15 अगस्त 2016 से किये जाने की जानकारी दी है। इस अभियान से संबंधित विस्तृत पत्रक/पत्र संलग्न प्रेषित है।

उक्त अभियान मे निजी नर्सिंग कॉलेजों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाना है। अतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत प्रत्येक माह की 9 तारीख को कैम्प आयोजित करने के निर्देश पूर्व में ही दिनांक 04.08.2016 दिये गये थे। किन्तु आज दिनांक तक किसी भी संस्था द्वारा कोई भी कार्यवाही कर अवगत नहीं कराया गया। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक माह की 9 तारीख को **"प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान"** कैम्प का आयोजन कर, सूचना संचालक चिकित्सा शिक्षा, जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के साथ रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल को अनिवार्य रूप से दी जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपकी संस्था पर कार्यवाही की जायेगी।

Anih 8/9/16
रजिस्ट्रार,
मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल म0प्र0

क्रमांक/म.प्र.न.र.कौं./2016/11890,11891 भोपाल, दिनांक: 8/09/2016

प्रतिलिपिः– मिशन संचालक, ए.एन.एम. की ओर सूचनार्थ।

Anih
रजिस्ट्रार,
मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल म0प्र0

कार्यालय
मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौसिल
भोपाल, म0प्र0

क्रमांक/म.प्र.न.र.कौं./2016/10867 भोपाल, दिनांकः 9/8/2016

प्रति,

प्राचार्य,

समस्त नर्सिंग कॉलेज

....

विषयः– प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संचालन के संबंध में।

संदर्भः– संचालक रा.स्वा.मि. के पत्र क्रमांक 330, दिनांक 23.07.2016

—00—

संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रदेश में प्रसव पूर्व देखभाल की गुणवत्ता एवं कवरेज को बढ़ावा देने तथा आर.एम.एल श्री एच+ए सेवाओं की रणनीति के तहत निदान एवं परामर्श सेवाओं के कवरेज में सुधार की दृष्टि से प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान का शुभारंभ 15 अगस्त 2016 से किये जाने की जानकारी दी है। इस अभियान से संबंधित विस्तृत पत्रक/पत्र संलग्न प्रेषित है।

उक्त अभियान में निजी नर्सिंग कॉलेजों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाना है अतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत प्रत्येक माह की 9 तारीख को कैम्प आयोजित करें। कैम्प आयोजन की सूचना संचालक चिकित्सा शिक्षा, जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के साथ–साथ रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल को दी जाना सुनिश्चित करें।

रजिस्ट्रार,
मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल म0प्र0

क्रमांक/म.प्र.न.र.कौं./2016/10868 भोपाल, दिनांक 9/8/2016

प्रतिलिपिः– मिशन संचालक, एन.एच.एम. की ओर सूचनार्थ ।

9/8/16

रजिस्ट्रार,
मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल म0प्र0

राष्ट्रीय मिशन प्राप्त
05/08/16

कार्यालय
मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल, म0प्र0

क्रमांक / म.प्र.न.र.कौं. / 2016 / 10867 भोपाल, दिनांक 9 / 8 / 2016

प्रति,

प्राचार्य,

समस्त नर्सिंग कॉलेज

....

विषयः— प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संचालन के संबंध में।

संदर्भः— संचालक रा.स्वा.मि. के पत्र क्रमांक 330, दिनांक 23.07.2016

—00—

संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रदेश में प्रसव पूर्व देखभाल की गुणवत्ता एवं कवरेज को बढ़ावा देने तथा आर.एम.एल श्री एच+ए सेवाओं की रणनीति के तहत निदान एवं परामर्श सेवाओं के कवरेज में सुधार की दृष्टि से प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान का शुभारंभ 15 अगस्त 2016 से किये जाने की जानकारी दी है। इस अभियान से संबंधित विस्तृत पत्रक/पत्र संलग्न प्रेषित है।

उक्त अभियान में निजी नर्सिंग कॉलेजों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाना है अतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत प्रत्येक माह की 9 तारीख को कैम्प आयोजित करें। कैम्प आयोजन की सूचना संचालक चिकित्सा शिक्षा, जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के साथ—साथ रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल को दी जाना सुनिश्चित करें।

रजिस्ट्रार,
मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल म0प्र0

क्रमांक / म.प्र.न.र.कौं. / 2016 / .... भोपाल, दिनांक ...... / ..... / 2016

प्रतिलिपिः— मिशन संचालक, एन.एच.एम. की ओर सूचनार्थ ।

रजिस्ट्रार,
मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल म0प्र0

कार्यालय
मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल, म0प्र0

क्रमांक/म.प्र.न.र.कौं./2016/10867 भोपाल, दिनांक: 5/8/2016

प्रति,

प्राचार्य,

समस्त नर्सिंग कॉलेज

....

विषयः— प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संचालन के संबंध में।

संदर्भः— संचालक रा.स्वा.मि. के पत्र कमांक 330, दिनांक 23.07.2016

—00—

संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रदेश में प्रसव पूर्व देखभाल की गुणवत्ता एवं कवरेज को बढ़ावा देने तथा आर.एम.एल श्री एच+ए सेवाओं की रणनीति के तहत निदान एवं परामर्श सेवाओं के कवरेज में सुधार की दृष्टि से प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान का शुभारंभ 15 अगस्त 2016 से किये जाने की जानकारी दी है। इस अभियान से संबंधित विस्तृत पत्रक/पत्र संलग्न प्रेषित है।

उक्त अभियान में निजी नर्सिंग कॉलेजों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाना है अतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत प्रत्येक माह की 9 तारीख को कैम्प आयोजित करें। कैम्प आयोजन की सूचना संचालक चिकित्सा शिक्षा, जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के साथ-साथ रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल को दी जाना सुनिश्चित करें।

Anil 5/8/16

रजिस्ट्रार,
मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल म0प्र0

क्रमांक/म.प्र.न.र.कौं./2016/10868 भोपाल, दिनांक: 5/8/2016

प्रतिलिपिः— मिशन संचालक, एन.एच.एम. की ओर सूचनार्थ ।

Anil

रजिस्ट्रार,
मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल म0प्र0

1

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्र./एन.एच.एम./एम.एच./2016/ 926 भोपाल, दिनांक 23/7/2016

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषयः– प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संचालन के संबंध में।

प्रदेश में प्रसव पूर्व देखभाल की गुणवत्ता एवं कवरेज को बढावा देने तथा आर.एम.एन.सी.एच.+ए. सेवाओं की रणनीति के तहत महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, निदान एवं परामर्श सेवाओं के कवरेज में सुधार की दृष्टि से **"प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान"** की परिकल्पना की गई है। अभियान का मुख्य उद्देश्य–

- ✓ प्रत्येक गर्भवती महिला की द्वितीय एवं तृतीय तिमाही में स्त्री रोग विशेषज्ञ/एम.बी.बी.एस. चिकित्सा अधिकारी द्वारा न्यूनतम एक जांच
- ✓ प्रसव पूर्व विजिट के दौरान गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को सुदृढ करना। अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण ए.एन.सी., रेफरल, उपचार एवं उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को सम्मिलित किया जाना है जिसके तहत निम्नलिखित सेवाओं की सुविधाऐं सुनिश्चित की जानी है–
    - o आवश्यकतानुसार डाइग्नोस्टिक सेवाऐं
    - o हाई रिस्क स्क्रीनिंग सुविधाएं
    - o चिकित्सकीय स्थिति में आवश्यक प्रबंधन जैसे – एनीमिया, पी.आई.एच., जेस्टेशनल डायबिटिज आदि
    - o उचित काउंसलिंग सेवाऐं
    - o दी गई सेवाओं की उचित डाक्यूमेंटेशन
- ✓ ऐसी महिलाऐं जिनकी किसी भी कारणवश प्रसव पूर्व जांच नहीं हुई हो उनकी जांच सुनिश्चित करना।
- ✓ प्रसूति/चिकित्सकीय इतिहास के आधार पर उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का चिन्हांकन एवं प्रबंधन हेतु लाईन लिस्टिंग करना।

अभियान संचालन हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जानी है–

- ➢ **मानव संसाधन**
    - एस.बी.ए. प्रशिक्षित ए.एन.एम./जी.एन.एम.
    - एम.बी.बी.एस. चिकित्सा अधिकारी/प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ (इन हाउस अथवा निजी क्षेत्र में)
    - लैब टेक्निशियन
    - फार्मासिस्ट
- ➢ **यू.एस.जी.– सोनोलॉजिस्ट/रेडियोलॉजिस्ट सोनोग्राफी हेतु (इन हाउस अथवा निजी क्षेत्र से)**
- ➢ **प्रयोगशाला जांचें**
    - हिमोग्लोबिन

- यूरिन एल्बुमिन एवं ब्लड शुगर
- मलेरिया
- वीडीआरएल, एच.आई.व्ही., ब्लड शुगर
- ब्लड ग्रुपिंग, फास्टिंग एवं पोस्ट प्रेन्डियल ब्लड शुगर

➤ **औषधियां**

- इंजेक्शन टी.टी.
- आयरन फोलिक एसिड गोलियां
- फोलिक एसिड (400 मि.ग्रा)/5 मि.ग्रा.
- एंटीबायोटिक्स– एम्पीसिलिन, मेट्रानिडाजोल, एमोक्सीसिलन, ट्राइमेथोप्रिम एवं सल्फामीथोक्जोल, इंजेक्शन डेक्सामीथासोन
- पेरासीटामॉल, क्लोरोक्वीन
- फोलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम/5 मि.ग्रा.
- कैल्शियम 500 मि.ग्रा. एवं विटामिन डी3 गोलियां
- एल्बेन्डाजॉल गोलियां
- मिथाइलडोपा गोलियां
- लेबेटालोल गोली एवं इंजेक्शन

अभियान का संचालन दिनांक 09 अगस्त 2016 से किया जाना सुनिश्चित करें। दिनांक 15 अगस्त 2016 को जिला स्तर पर विधायक एवं सांसद द्वारा अभियान का विधिवत शुभारंभ करें। संचालन हेतु निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जाए–

- जिला स्तर पर अभियान के नोडल अधिकारी के रूप में डी.एच.ओ. 1 एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक को नामांकित करें।
- जिला स्तर पर द्वितीय एवं तृतीय तिमाही वाली गर्भवती महिलाओं की गणना
- **पीएमएसएमए हेतु चिन्हित शासकीय संस्थाऐं– अर्बन पीएचसी एवं सीएचसी, ग्रामीण पीएचसी एवं सीएचसी तथा आयुर्वेदिक कॉलेज**
- **पीएमएसएमए हेतु चिन्हित निजी संस्थाऐं– निजी मेडिकल कॉलेज, निजी नर्सिंग होम, ट्रस्ट हास्पिटल, जननी सहयोगी अभिप्रमाणित संस्था, निजी नर्सिंग कॉलेज**
- अभियान के अंतर्गत चिन्हित निजी एवं शासकीय संस्थाओं की मेपिंग **31 जुलाई तक कर राज्य स्तर पर उपलब्ध करावें।**
- जिला चिकित्सालय की स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा चिन्हित संस्थाओं में पदस्थ एम.बी.बी.एस. चिकित्सा अधिकारियों को प्रसव पूर्व जांच के संबंध में प्रशिक्षण **31 जुलाई 2016 तक पूर्ण किया जाए।**
- अभियान के अंतर्गत **निजी क्षेत्र की पंजीकृत** संस्थाओं, आयुर्वेदिक महाविद्यालय, निजी चिकित्सा महाविद्यालय तथा निजी नर्सिंग महाविद्यालय का उन्मुखीकरण – **मु.चि. एवं स्वा. अ. एवं डी.एच.ओ. 1 द्वारा उन्मुखीकरण दिनांक 31 जुलाई 2016 तक पूर्ण किया जाना।**
- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की ए.एन.एम./आशा द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक एमसीटीएस के आधार पर द्वितीय एवं तृतीय तिमाही की गर्भवती महिलाओं का चिन्हांकन एवं निजी एवं शासकीय संस्थाओं में प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को अभियान में जांच हेतु आने की पूर्व से जानकारी देना। सुपरविजन का दायित्व जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला कम्युनिटी मोबिलाईजर का होगा।

- शासकीय संस्थाओं में लॉजिस्टिक की व्यवस्था – प्रयोगशाला जांचें, सोनोग्राफी सेवाऐं, औषधि, सपोर्ट स्टॉफ, उपकरण, काउंसलर, रजिस्टर, रेफरल स्लिप – जे.एस.एस.के. मद से सुनिश्चित करने का दायित्व जिला कार्यक्रम प्रबंधक का होगा।
- निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं नर्सिंग महाविद्यालयों में स्वयं के मद से उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- रिर्पोटिंग प्रक्रिया – गुगल ड्राइव के माध्यम से एम.एण्ड ई. द्वारा की जाए।
- हितग्राहियों हेतु मोबिलिटी सपोर्ट की व्यवस्था ब्लाक कम्युनिटी मोबिलाईजर द्वारा वी.एच.एस.सी. मद से की जाए।
- गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच करने पर हाई रिस्क के रूप में चिन्हांकित महिलाओं को रेफरल स्लिप के साथ ए.एन.सी. क्लीनिक दिवस पर उच्च संस्था में रेफर करें। जांच बिन्दुओं की प्रविष्टि एम.सी.पी. कार्ड मे आवश्यक रूप से की जानी है। एम.सी.पी. कार्ड में महिला की स्थिति अनुसार निम्नानुसार स्टिकर लगाए जाए–
    - सामान्य गर्भावस्था होने पर – [redacted]
    - उच्च जोखिम वाली महिला (एनीमिया, पी.आई.एच. आदि) – [redacted]
    - डायबिटिज, हाइपोथायरोइडिज्म, एस.टी.आई. एवं हृदय रोग वाली महिलाओं – पीला स्टिकर
- अभियान अंतर्गत प्रत्येक माह की 9 तारीख को 50 प्रतिशत लक्षित गर्भवती महिलाओं को लाने पर आशा कार्यकर्ता को रूपये 100/– प्रति माह प्रोत्साहन राशि ज.सु.यो. के प्रशासकीय मद से दी जाए।
- अभियान की व्यापक आई.ई.सी. का व्यय आई.ई.सी. मद से किया जाए।

आपको निर्देशित किया जाता है कि अभियान के सफल संचालन हेतु उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक माह की 15 तारीख तक लाईन लिस्टिंग उपलब्ध करावें। **इसके अतिरिक्त अभियान के अतिरिक्त समस्त शासकीय संस्थाओं में नियमित रूप से आयोजित होने वाली ए.एन.सी. क्लीनिक में सेवाऐं यथावत प्रदान की जाए।**

(वी. किरण गोपाल)
मिशन संचालक, एन.एच.एम.
मध्यप्रदेश

पृ. क्र./एन.एच.एम./एम.एच./2016/327 भोपाल, दिनांक 23/7/2016

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
4. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. समस्त डीन, मेडिकल कॉलेज, मध्यप्रदेश।
6. संचालक, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश – अभियान की प्रतिमाह संभाग स्तरीय मानीटरिंग सुनिश्चित करें।
8. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
9. समस्त ओ.आई.सी./एस.पी.एम.यू., एनएचएम, मध्यप्रदेश।
10. समस्त विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
11. समस्त संभागीय/जिला/विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक, एन.एच.एम.
मध्यप्रदेश

(5)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्र./एन.एच.एम./एम.एच./2016/330 भोपाल, दिनांक 23/7/2016

प्रति,

संचालक
चिकित्सा शिक्षा
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

विषयः– प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संबंध में।

लेख है कि प्रदेश में प्रसव पूर्व देखभाल की गुणवत्ता एवं कवरेज को बढावा देने तथा आर.एम.एन.सी.एच.+ए. सेवाओं की रणनीति के तहत निदान एवं परामर्श सेवाओं के कवरेज में सुधार की दृष्टि से प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान का शुभारंभ 15 अगस्त 2016 से किया जाना है। अभियान के तहत प्रत्येक माह की 9 तारीख को द्वितीय एवं तृतीय तिमाही वाली गर्भवती महिलाओं की चिकित्सा अधिकारी/स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा जांच कराई जाना है। अभियान का मुख्य उद्देश्य गर्भावस्था में जटिलता की पहचान कर उचित समय पर प्रबंधन किया जाना है।

आपसे अनुरोध है कि निजी नर्सिंग कॉलेज की रजिस्ट्रार को निर्देशित करें कि वे उक्त अभियान में निजी नर्सिंग कॉलेज की भागीदारिता सुनिश्चित करें। अभियान अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की जांच हेतु महिला एम.बी.बी.एस. चिकित्सा अधिकारी/स्त्री रोग विशेषज्ञों की सेवाऐं तथा आवश्यक जांचों की व्यवस्था की जानी है, जिससे अधिक से अधिक गर्भवती महिलाओं को उक्त योजना का लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही निजी चिकित्सा महाविद्यालयों को भी अभियान में सम्मिलित होने हेतु निर्देशित करें। अभियान के विस्तृत दिशा निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

(वी. किरण गोपाल)
मिशन संचालक, एन.एच.एम.
मध्यप्रदेश

पृ. क्र./एन.एच.एम./एम.एच./2016/331 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
4. संचालक, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
5. संचालक, नर्सिंग, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
6. रजिस्ट्रार, म.प्र. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल, एल.एल.ए. कॉलोनी के पास, 12 दफ्तर रोड, गोमन्तिका परिसर, तृतीय तल, जवाहर चौक, मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक, एन.एच.एम.
मध्यप्रदेश